**न्यायालय जिला कलक्टर, पाली**

**पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेशचंद जैन, आई.ए.एस.**

**पंचायत निगरानी : 65/2018**

**RCMS No. 2018/00353**

| प्रार्थी:– | बनाम | अप्रार्थीगण:– |
|---|---|---|
| दीनाराम पुत्र हरलाल भाट, निवासी अरटिया, तहसील रोहट, जिला पाली | | 1. ग्राम पंचायत भाखरीवाला जरिये सरपंच<br>2. तरूण पुत्र भंवरलाल हीरागर, निवासी रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली |

**पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994**

**उपस्थिति –**

श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित विद्वान अभिभाषक प्रार्थी

**–: निर्णय :–**

**दिनांकः– 24.02.2020**

वकील प्रार्थी द्वारा यह पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायत राज अधिनियम 1994 विरूद्व ग्राम पंचायत भाखरीवाला के संकल्प संख्या 24 दिनांक 5.2.2018 जो मिसल संख्या 96 में पारित आदेश दिनांक 05.02.2018 कि पालना में जारी पट्टा संख्या 46 जो अप्रार्थी संख्या 02 तरूण पुत्र भंवरलाल जाति हीरागर निवासी रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली के पक्ष में जारी किया हुआ है जो निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत की गई है। निगरानी प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजुद तामील अनुपस्थित रहने पर एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि जैर निगरानी आदेश साक्ष्य विहीन व विधि विरूद्व होने से निरस्त योग्य है, प्रार्थी के पक्ष में जैर निगरानी आदेश राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी करना बताया है उक्त नियमों के तहत रहवासी मकान का ही पट्टा जारी किया जा सकता है। बिना रहवासीय मकान के पट्टा नियमित करना ग्राम पंचायत के क्षैत्राधिकार में नही है इसके बावजूद भी पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया जो खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थी संख्या 02 न तो अरटिया का निवासी है न ही रोहट का तरूण पुत्र भंवरलाल पाली जिले के बाहर का व्यक्ति है जिसे व्यक्तिगत लाभ पहुचांने की गरज से पट्टा जारी किया गया है, केटल शेड टांका मय नोडेप निर्माण हेतु राशि भी स्वीकृत कराई है जिसे खारिज किया जाना विधि सम्मत है प्रार्थी द्वारा उक्त पट्टा ग्राम अरटिया के खसरा नम्बर 16 में जारी किया गया है जो खातेदारी कृषि भूमि है। तथा उक्त भूमि के कमला जोजे दिनाराम 193/293 शंकरलाल पुत्र केराराम 40/273 वजु देवी पत्नी मांगीलाल 40/273 कौम भाट सा. खातेदार दर्ज है जो प0ह0 अरटिया की मौका रिपोर्ट

जिला कलेक्टर, पाली

दिनांक 14.07.2018 से स्पष्ट है उक्त रिपोर्ट प.ह. द्वारा बाद सीमांकन तैयार की गई है। इस संबध में ग्रामवासियों ने सरपंच अरटिया द्वारा गलत पट्टा बनाने पर ग्राम सेवक की शिकायत भी की गई तथा उसे वापस भाकरीवाला में नही लगाने के लिए विरोध भी जताया था तथा खातेदार कमलादेवी जोजे दीनाराम जाति भाट ने थानाधिकारी रोहट को प्रार्थना पत्र भी प्रेषित किया जिसे उसकी खातेदारी मे पट्टा जारी करने का उल्लेख किया गया हैपंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव में पुश्तैनी कब्जा सुदा आवासी मकान का पट्टा नियम 157 क ख के तहत जारी करने का उल्लेख है जबकि न तो पुश्तेनी मकान बना होना साबित है न ही जैर निगरानी आराजी आवासीय भूमि है। जैर निगरानी भूमि खातेदारी कृषि भुमि है जिसमें जारी जैर निगरानी पट्टा निरस्त योग्य है। जैर निगरानी पट्टे को ग्राम पंचायत अरटिया द्वारा गलत मानते हुए प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 5.3.2018 जैर निगरानी पट्टे को निरस्त करने बाबत पारित किया है प्रार्थी संख्या 01 द्वारा पट्टा जारी करने हेतु कायम मिसल संख्या 96/2017–18 की आदेशिका दिनांक 20.10.2012 के अनुसार खसरा नम्बर 15 की आबादी भुमि में जारी करने का उल्लेखित है जबकि पट्टा खसरा नम्बर 16 की खातेदारी भूमि में जारी किया गया है जो निरस्त योग्य है उक्त आदेशिका में रियायती दरों पर 10/– रूपये प्रति वर्ग फिट की दर से रू 13500/– बाद वसूली के पट्टा जारी करना उल्लेखित है न तो राशि पट्टाधारी से वसूली गई न ही पट्टा धारी को जारी पट्टा ही उसे दिया गया है। मिसल में आदेशिका दिनांक 5.3.2018 मे पट्टा निरस्त किए जाने बाबत उल्लेख है तथा मौका रिपोर्ट मौका नक्शा आपत्ती इश्तहार ब्यान सभी पर लाल स्याही से निरस्त का उल्लेख है तथा पंचायत द्वारा जारी जैर निगरानी पट्टा संख्या 46 की तीनों प्रतियों पर लाल स्याही से निरस्त किया जाने के अंकन के साथ ही पट्टा बुक में सलंग्न है ऐसी स्थिति में जैर निगरानी पट्टा निरस्त फरमाया जावें।

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया तथा ग्राम पंचायत से प्राप्त रेकर्ड का अवलोकन किया गया प0ह0 अरटिया की मौका रिपोर्ट दिनांक 14.07.2018 एंव जमाबंदी की प्रति संवत 2073–2076 के अनुसार जैर निगरानी पट्टा खसरा नम्बर 16 में जारी किया गया है।तथा उक्त भूमि प्रार्थी की पत्नी कमला जोजे दीनाराम के साथ ही अन्य व्यक्तियों के साथ सह खातेदारी की भूमि है। जिसमें जैर निगरानी पट्टा पंचायत द्वारा उसकी आवासीय भूमि में जारी नही किया जाना पाया जाने से निरस्त किया जाना विधि सम्मत है। जैर निगरानी पट्टा भूमि पर पट्टा धारी का मकान निर्मित नही होने के कारण नियम 157 राज.प.राज. नियम 1996 के तहत पट्टा जारी किया गया जो विधि सम्मत नही होने से खारिज किया जाना न्यायोचित है। प्रस्ताव रजिस्टर मे प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 05.02.2018 के अनुसार पुश्तैनी कब्जा सुदा आवासीय मकान होने से नियम 157 के तहत 100/– रूपये व 200/– रूपये पंचायत कोष में जमा कर आबादी भूमि का विक्रेय विलेख जारी किए जाने बाबत प्रस्ताव का अंकन है जो पंचायत की पत्रावली सख्या 90 से 97 के संबध में लिया गया है। जबकि मिसल संख्या 96 दिनांक 5.2.2018 की आदेशिका दिनांक 5.2.2018 के अनुसार जैर

जिला कलेक्टर, पाली

निगरानी भुमि 1350 वर्ग फुट होने से रियायती दर से 10/— रूपये प्रति वर्ग फुट की दर से 13500 रूपये जमा कर पट्टा जारी किया जाने का आदेश अंकित है। दोनो में विरोधाभाष है उपरोक्त दोनो में से कितनी राशि वसुल कर पट्टा जारी किया यह कहीं उल्लेखित नही है आदेशिका दिनांक 05.03.2018 के अनुसार पचांयत द्वारा तय राशि जमा करवाने हेतु असमर्थता जाहिर करने से पट्टा पंचायत द्वारा ही खारिज कर दिया है जो विधि सम्मत नही है। उपरोक्त सभी तथ्यों के मध्यनजर जैर निगरानी विक्रय विलेख को यथावत रखा जाना न्यायोचित नही है।

परिणाम स्वरूप ग्राम पंचायत अरटिया तहसील रोहट द्वारा अप्रार्थी तरूण पुत्र भंवरलाल जाति हीरागर के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 46 दिनांक 5.2.2018 जो संकल्प संख्या 2 दिनांक 5.2.2018 तथा मिसल संख्या 96/2017—18 में पारित आदेश दिनांक 5.2.2018 की पालना में जारी किया गया उसे निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा शामिल मिसल किया गया।

(दिनेशचंद जैन)
जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली